HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक अभियुक्त को 02 वर्ष 03 माह का कारावास व 1,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 20.01.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम हापुड़ के द्वारा "चोरी व शस्त्र अधिनियम" के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- वर्ष-2017 में थाना हापुड़ देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त जोनी पुत्र लखमी निवासी न्यू भीमनगर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ को चोरी करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 122/2017 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 19.06.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष-2023 में थाना हापुड़ देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त जोनी पुत्र लखमी निवासी न्यू भीमनगर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ को अवैध शस्त्र रखने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 146/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 07.06.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 20.01.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा कुल 02 वर्ष 03 माह का कारावास व 1,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।